

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 2102/2020

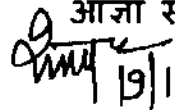
दिनांक 19.11.2020

सुश्री प्रेमलता सैनी (RJ0434), विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण प्रकरण), भरतपुर को निम्नलिखित अवकाश स्वीकृत किये जाते हैं:-

1. दिनांक 27.10.2020 का एक दिवस का उपार्जित अवकाश दिनांक 24.10.2020 से 26.10.2020 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित ।
2. दिनांक 28.10.2020 से 31.10.2020 तक 04 दिनों का परावर्तित अवकाश ।

सुश्री सैनी की अनुपस्थिति में अति. सेशन न्यायाधीश, (महिला उत्पीड़न प्रकरण), भरतपुर ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण प्रकरण), भरतपुर के पद पर ही की गई ।

आज्ञा से

19/11/2020
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/67/2002/5178

दिनांक : 19.11.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भरतपुर को उनके पत्रांक 5027 दिनांक 06.11.2020 के सन्दर्भ में ।
3. सुश्री प्रेमलता सैनी (RJ0434), विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण प्रकरण), भरतपुर ।
4. विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण प्रकरण), भरतपुर ।
5. अति. सेशन न्यायाधीश, (महिला उत्पीड़न प्रकरण), भरतपुर ।


सहायक रजिस्ट्रार